माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल – mpbse@mp.nic.in वेब साइट – www.mpbse.nic.in

☎ : कार्या:– (0755–2551650) (फैक्स–0755–2552061)

क्रमांक/1708 /परीक्षा–समन्वय/2020 भोपाल, दिनांक–13/07/2020

प्रति,

1– समस्त– कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2– समस्त– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
3– समस्त– उपायुक्त/सहा. आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति क.विभाग, म0प्र0।
4– समस्त– जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
5– समस्त– उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन, मध्यप्रदेश।
5– समस्त– समन्वयक संस्था प्राचार्य, मण्डल परीक्षायें वर्ष 2020 मध्यप्रदेश।

विषय–नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण के कारण माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी परीक्षा वर्ष 2020 की शेष परीक्षा में वंचित छात्रों के संबंध में विशेष परीक्षा आयोजन विषयक।

संदर्भ–मण्डल का पत्र क्रमांक/1696/परीक्षा समन्वय/2020, भोपाल, दिनांक 08.06.2020

—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा हायर सेकेण्डरी एवं हायर सेकेण्डरी दृष्टिहीन, मूक बधिर (दिव्यांग) वर्ष 2020 की शेष परीक्षाएं दिनांक 09.06.2020 से 16.06.2020 तक आयोजित परीक्षाओं के दौरान निम्न कारणों से परीक्षा से वंचित छात्रों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है–

अ– प्रदेश में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण के कारण कतिपय जिलों में तत्समय ऐसे छात्र इस वायरस से संक्रमित (जिनकी रिपोर्ट वर्तमान में पॉजिटीव आई है) थे।

ब– जिनका तत्समय उपचार के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई है किन्तु उनका कोरेंटाईन अवधि पूर्ण नहीं हुई थी।

स– ऐसे छात्र जो तत्समय स्वयं कोरेंटाईन है अथवा उनके परिवार का कोई सदस्य कोरोना पॉजिटीव होने के कारण होम कोरेंटाईन या संस्थागत कोरेंटाईन है तथा छात्र परिवार के साथ निवासरत है एवं छात्र भी कोरेंटाईन थे।

द– दृष्टिहीन, मूक बधिर (दिव्यांग) छात्र स्वास्थ्य सुरक्षा के कारणों से।

2– उपरोक्त श्रेणि के छात्र दिनांक 14 जुलाई से 20 जुलाई 2020 तक एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे तथा आवेदन के साथ छात्रों को श्रेणी अनुसार निम्न दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगाः–

2.1 कोरोना पॉजिटीव छात्र का डिसचार्ज प्रमाण–पत्र अथवा सिविल सर्जन/मख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा खण्ड चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

2.2 कोरेटाईन छात्रों के लिए तहसीलदार/नायाब तहसीलदार का प्रमाण–पत्र।

2.3 दृष्टिहीन, मूक बधिर (दिव्यांग) छात्रों के लिए स्वयं का घोषणा–पत्र।

3– मण्डल द्वारा दिनांक 23 जुलाई 2020 तक संबंधित जिलें के जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश को उनकी जी–टू–जी लॉगिन में छात्रों की जानकारी एवं दस्तावेज उपलब्ध कराये जावेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार दस्तावेजों का परीक्षण कर दिनांक 27.07.2020 तक संबंधित छात्रों के आवेदन/जानकारी को मान्य/अमान्य करना अनिवार्य होगा।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/1709/परीक्षा–समन्वय/2020 भोपाल, दिनांक– 13/07/2020

प्रतिलिपि–

1– मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

2– प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन।

3– प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

4– आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

5– आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।

6– आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, श्यामला हिल्स, मध्यप्रदेश, भोपाल।

7– आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश शासन की ओर समुचित प्रसार हेतु सूचनार्थ।

8– आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल।

9– आयुक्त, निःशक्तजन, कम्युनिटी हॉल, 1250, तुलसी नगर, भोपाल।

10– आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, न्यूमार्केट, टी.टी. नगर,मध्यप्रदेश, भोपाल।

11– समस्त– संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।

12– समस्त– जिला पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश।

13– समस्त– संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

14– आचंलिक/समस्त– संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा0 शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।

15– सी.एस.ओ./पी.आर.ओ./पंजीयक परीक्षा/विधि सलाहकार/सहा.सचिव/मा.शि.म.म.प्र.।

16– नि.स.– अध्यक्ष/सचिव/अतिरिक्त सचिव/उप सचिव/परीक्षा नियंत्रक/वित्ताधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।

17– संचालक, एम.पी. ऑनलाईन, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल